दिनांक 15.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 323/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मद्यपान कर वाहन चलाने, ध्वनि प्रदूषण, बिना HSRP तथा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का राज्यव्यापी विशेष अभियान

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रदेशभर में राज्यव्यापी विशेष अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 09 मई 2026 से 14 जून 2026 तक प्रत्येक सप्ताहांत — शनिवार एवं रविवार — सम्पूर्ण प्रदेश में मद्यपान कर वाहन चलाने, मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न/हूटर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाने, बिना HSRP (High Security Registration Plate) वाहन चलाने तथा नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान का संचालन जनपदीय नोडल अधिकारी यातायात एवं क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

प्रदेश में विगत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में घटित कुल सड़क दुर्घटनाओं में क्रमशः 8.61%, 6.05% एवं 3.51% दुर्घटनाएँ मद्यपान कर वाहन चलाने के कारण हुईं। आंकड़ों की समीक्षा में यह भी पाया गया कि सप्ताहांत पर कुछ वाहन चालकों द्वारा नशे की अवस्था में वाहन चलाने से मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रूप से रात्रिकाल में वाहन चालकों, यात्रियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

अभियान के दौरान प्रदेश के प्रमुख टोल प्लाजाओं पर प्रत्येक लेन के लिए समर्पित चेकिंग टीमें नियुक्त की गईं। चेकिंग टीमों को टॉर्च, रिफ्लेक्टिव जैकेट, बॉडी वॉर्न कैमरा, लाउड हेलर एवं ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए गए, ताकि प्रवर्तन कार्यवाही पारदर्शी, सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से की जा सके।

अभियान में तैनात महिला पुलिसकर्मियों द्वारा “Meet and Greet” प्रक्रिया अपनाते हुए परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं से कुशलक्षेम पूछा गया तथा यात्रा के दौरान आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य प्रवर्तन के साथ-साथ नागरिक सहायता एवं महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देना रहा।

इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले डंपर/ट्रकों की HSRP का मौके पर सत्यापन किया गया। मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं हूटर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों, बिना HSRP वाहन चलाने वालों तथा नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

प्रदेश में कुल 135 टोल प्लाजाओं पर यातायात एवं नागरिक पुलिस के कुल 3,645 अधिकारी/कर्मचारी अभियान में तैनात रहे। इनमें 135 निरीक्षक, 270 उपनिरीक्षक, 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी पुरुष, 1,080 मुख्य आरक्षी/आरक्षी महिला एवं 1,080 होमगार्ड सम्मिलित थे।

अभियान अवधि के दौरान कुल 10,24,030 वाहनों की जांच की गई। इनमें मद्यपान कर वाहन चलाते हुए पाए गए 13,431 वाहन चालकों, मोडिफाइड साइलेंसर/प्रेशर हॉर्न/हूटर का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 28,477, बिना HSRP वाहन चलाने वाले 33,616 तथा नाबालिगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने से संबंधित 930 मामलों में कार्यवाही की गई।

इस प्रकार अभियान के दौरान कुल 76,454 चालान किए गए तथा कुल ₹56.91 करोड़ के अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 mg प्रति 100 ml से अधिक पाए जाने पर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में असफल पाए जाने पर प्रथम अपराध हेतु ₹10,000 का अर्थदण्ड अथवा 6 माह तक का कारावास अथवा दोनों तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में ₹15,000 का अर्थदण्ड अथवा 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, मद्यपान कर वाहन न चलाएं, ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं, अपने वाहनों में वैध HSRP लगवाएं तथा नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दिनांक 15.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 324/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित घायल/मृत**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.06.2026 को थाना बांगरमऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ताजपुर अण्डरपास के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गया, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इसराइल उर्फ इजराइल घायल हो गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि बरामद हुए । घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त इसराइल उर्फ इजराइल को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था, जो थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2026 धारा 103 (1) व 3(5) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1– इसराइल उर्फ इजराइल निवासी मो0 पूर्विया टोला कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस आदि।

जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.06.2026 को थाना बांगरमऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंजमुरादाबाद रोड ओवर ब्रिज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शानू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शानू निवासी मो0दरगाह शरीफ कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव।

जनपद मीरजापुर/थाना को0कटरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 110.08 ग्राम अवैध हेरोईन**
- **मादक पदार्थ बिक्री के 6820 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2026 को थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोहदी रोड़ चोरवा बारी के पास से अभियुक्त जय प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 110.08 ग्राम अवैध हेरोईन, मादक पदार्थ बिक्री के 6820 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना को0 कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जय प्रकाश निवासी चोरवा बारी थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 110.08 ग्राम अवैध हेरोईन।

2—मादक पदार्थ बिक्री के 6820 रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/120बी/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—जयदेव 2—लालू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना चितबड़ागांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 25—25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 24—24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व धारा 504/506/323 भादवि के अन्तर्गत 05 अभियुक्तों 1—मनोज 2—राकेश 3—पंकज 4—मंजीत उर्फ मुकुर 5—रोहित को 25—25 वर्ष के सश्रम कारावास व 24—24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 15.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 325/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.06.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई** द्वारा दिवाकर निवासी ग्राम फरीदपुर भेडी थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद से डियूटी लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती दीपा त्यागी के नेतृत्व में मण्डी समिति पूर्वी गेट के पास से **पीसी (प्लाटून कमाण्डर अवैतनिक) भोजराज सिंह (कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड मुरादाबाद)** पुत्र रामपाल सिंह निवासी एकता कॉलोनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को **04 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 15.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 326/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की लखनऊ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.06.2026 को **सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की लखनऊ इकाई** द्वारा सुदेश कुमार गुप्ता निवासी खजांची टोला सदर बाजार जनपद हरदोई से विद्युत कार्य के बकाया बिलों के भुगतान के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर की ट्रैप टीम द्वारा **कृष्ण कुमार सोनकर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शाहाबाद जनपद हरदोई** को **02 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।